

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) कैलाश गंडू पिता-लखन गंडू; 2.) त्रिवेणी गंडू पिता-सुकर गंडू एवं 3.) मनोज गंडू पिता- झनडु गंडू ग्राम: आरा , थाना: बालुमाथ जिला :लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत थाना सं. 55 (रेयती भूमि) ग्राम: आरा , खाता सं. 165, के अधीन प्लॉट सं. - 44, 45, 46, 55, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 180, 182, 206, 207, 208, 209, 325; खाता सं. 117, के अधीन प्लॉट सं. - 54; कुल रकबा: - 6.00 एकड़ (रेयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (मगध- संघमित्रा), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

ज्योत्सना
23.03.2024
उप-प्रबंधक (सामुदायिक विकास),
भूमि एवं राजस्व, सीसीएल, राँची